बिस्कोमान
(बिहार एवं झारखण्ड)
प्रथम तल, बिस्कोमान भवन, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना–800 001

Phone No.:- 0612-2219987
Fax No.:- 0612-2232377
Website:- www.biscomaun.co.in
E-mail:- biscomaun@gmail.com
info@biscomaun.co.in

पत्रांकः– बैठक/156/एम–653 **दिनांकः–** 14/08/2018

सेवा में,

सभी माननीय प्रतिनिधि/सदस्य समिति,
बिस्कोमान (बिहार–झारखण्ड)
बिस्कोमान सामान्य निकाय।

विषय :–**दिनांक 05.09.2018 (बुधवार) को पूर्वाहन 10:30 बजे बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड) के सामान्य निकाय की 30वीं वार्षिक आम–सभा के निर्धारण की सूचना।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान) पटना की उप–विधि संख्या–21 के आलोक में सामान्य निकाय की 30वीं वार्षिक आम–सभा की बैठक **(बुधवार) दिनांक 05.09.2018** को **पूर्वाहन 10:30 बज** से **बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), बिहार, निकट–सी.पी.आर.एस., पो.ऑ. – बिहार भेटनरी कॉलेज, जगदेव पथ, महिला पोलटेकनिक के सामने, पटना** के सभागार में आयोजित की गयी है।

बहु–राज्यीय सहकारी सोसायटीज अधिनियम 2002 की धारा 38 (3) के अनुसार सदस्य सहकारी समिति/संघ केवल अपने अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अथवा संबंधित समिति या संघ के निदेशक मंडल के सदस्य के माध्यम से ही प्रतिनिधित्व कर सकते है। बहु–राज्यीय सहकारी सोसायटीज अधिनियम 2002 की धारा 38 (3) निम्न प्रकार से है:–

''किसी बहु–राज्यीय सहकारी समिति की सामान्य निकाय अथवा निदेशक मंडल की किसी बैठक में किसी सहकारी समिति अथवा बहु–राज्यीय सहकारी समिति को भाग लेना है तो ऐसी सहकारी समिति अथवा अन्य बहु–राज्यीय सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व ऐसी बैठकों में केवल उसके चेयरपर्सन/मुख्य कार्यकारी या अध्यक्ष अथवा निदेशक मंडल के सदस्य, यथास्थिति के द्वारा किया जायेगा, यदि संबंधित सदस्य को निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत किया गया है, किन्तु जहां पर किसी कारणवश कोई निदेशक मंडल नहीं है ऐसी सदस्य समिति या बहु–राज्यीय सहकारी समिति के प्रशासक चाहे उन्हें किसी नाम से पुकारते हों, द्वारा संबंधित बैठक में भाग लिया जायेगा।

वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधि के नाम में अंतिम क्षणों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो नये नामित प्रतिनिधि अपने साथ समिति का नया प्रस्ताव और संपूर्ण रूप से भरा हुआ पहचान फॉर्म (**वर्तमान फोटो संलग्न**) सहित लायेगें जो कि आपके क्षेत्र के जिला सहकारिता पदाधिकारी/सहायक निबंधक, सहकारी समितियाँ या अपने क्षेत्र के सहकारी बैंक के प्रबंधक से अथवा जहां समिति का खाता है वहां के प्रबंधक की कार्यालय मोहर सहित सत्यापित होना चाहिए तथा पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तिथि एवं समय पर वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में भाग लेने का कष्ट करेगें। यदि किसी समिति के प्रतिनिधि बदल गये हों तो उसकी सूचना बिस्कोमान के वेबसाईट **www.biscomaun.co.in** पर उपलब्ध प्रपत्र को डाउनलोड कर दिनांक **27.08.2018** तक देना सुनिश्चित करेगें वैसे प्रपत्र की प्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न है।

वार्षिक सामान्य निकाय की कार्य-सूची निम्न प्रकार है:-

1 दिनांक 16.09.2017 को सम्पन्न सामान्य निकाय की वार्षिक आम-सभा की बैठक की कार्यवाही की सम्पष्टि।

2 दिनांक 16.09.2017 को सम्पन्न सामान्य निकाय की वार्षिक आम-सभा की बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा एवं सम्पुष्टि।

3 निदेशक पर्षद की बैठक दिनांक 15.09.2017, 15.02.2018, 24.04.2018 एवं 08.08.2018 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन।

4 वर्ष 2017-18 के अंकेक्षित लेखा विवरणी का अनुमोदन।

5 वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षित प्रतिवेदन का अनुमोदन।

6 वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रबंध निदेशक के वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन।

7 वित्तीय वर्ष 2017-18 के शुद्ध लाभ के निष्पादन पर विचार।

8 मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाईटीज एक्ट, 2002 की धारा-120 के आलोक में केन्द्रीय निबंधक के समक्ष दाखिल किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक विवरणी के अनुमोदन पर विचार।

9 वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सांविधिक **(Statutory)** अंकेक्षक की नियुक्ति पर विचार।

10. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक बजट के अनुमोदन पर विचार।

11. पूर्णकालिक संचालन घाटा की समीक्षा सहित दीर्घकालिक योजना और दीर्घकालिक योजना के क्रियान्वयन हेतु वार्षिक संचालन योजना की रूप रेखा के अनुमोदन पर विचार।

12. संस्था के कर्मचारियों की भविष्य निधि संबंधो आद्योपान्त वस्तु-स्थिति की समीक्षा एवं तत्संबंधी निदेशक पर्षद के प्रस्ताव के अनुमादन पर विचार।

13. कर्मचारियों की सूची जो बिस्कोमान निदेशक मंडल के सदस्यों या मुख्य कार्यकारी के रिश्तेदार है।

14. अन्यान्य:-माननीय अध्यक्ष की अनुमति से।

विश्वासभाजन
14/8/2018
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः— **बैठक / 156 / एम—653** दिनांकः—**14 / 08 / 2018**

प्रतिलिपिः—

1. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।
2. निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त आम—सभा में ससमय भाग लेने का कष्ट करेगें।

निबंधित

14/8/2018
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः— **बैठक / 156 / एम—653** दिनांकः—**14 / 08 / 2018**

प्रतिलिपिः—केन्द्रीय पंजीयक, सहकारी समितियाँ, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली—110001 को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधित

14/8/2018
प्रबंध निदेशक

फार्म - आर०जी०बी०

बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित, पटना
बिस्कोमान
(बिहार एवं झारखण्ड)

सामान्य निकाय की 30वीं वार्षिक आम–सभा में प्रतिनिधि के लिए नामांकन फॉर्म

दिनांक .... को सम्पन्न कार्यकारिणी / निदेशक पर्षद की बैठक के प्रस्ताव संख्या– .... में लिये गये निर्णयानुसार श्री.................... ...., पिता / पति– .... अध्यक्ष / प्रतिनिधि के लिए अधिकृत किया गया है। प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रति (मुहर सहित) संलग्न है।

प्रतिनिधि का अभिप्रमाणित फोटो चिपकाएँ

प्रतिनिधि का नाम एवं पुरा पताः–
(नाम और पता साफ शब्दो में)

....
....
....
....

मोबाईल नं०– ....

....
(प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

दिनांकः– ...... /...... /..........

....
(समिति के अध्यक्ष / सचिव का हस्ताक्षर एवं मुहर)

समिति का नाम एवं पुरा पताः– ....
....
....

नोटः–यदि समिति की ओर से मुख्य कार्यकारी को नामित किया जा रहा हो तो निम्नलिखित घोषणा को समिति के अध्यक्ष / सभापति/मुख्य कार्यकारी के हस्ताक्षर द्वारा अग्रसारित करें।
''यह सम्पुष्ट किया जाता है कि समिति प्रबंध निकाय/निदेशक पर्षद/प्रबंध समिति द्वारा संचालित है, प्रशासक द्वारा नहीं''।

(अध्यक्ष / सभापति / मुख्य कार्यकारी का हस्ताक्षर)